मत्स्यपालकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

(ख) से (घ) विकास योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

मछुआरों के रहन-सहन का स्तर बढ़ाने की योजना

3241. **श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मछुआरों के रहन-सहन का स्तर बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में उन मछुआरों के परिवारों की संख्या कितनी है जो उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक लाभान्वित हुए हैं और इस प्रकार के लाभों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि कोई योजना तैयार नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण

केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान, कोचीन द्वारा की गई संगणना के अनुसार तटीय मछुआरों की जनसंख्या लगभग 21 लाख है। इसमें से लगभग 5 लाख गतिशील मछुआरे बताए जाते हैं। राज्यों तथा केन्द्र सरकार द्वारा इन मछुआरों की समाजार्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं इस प्रकार हैं :—

1. गतिशील मछुआरों के लिए दुर्घटना सम्बन्धी सामूहिक बीमा के लिए राजसहायता।
2. बड़े और छोटे बन्दरगाहों पर मत्स्यन पत्तनों के निर्माण के लिए सहायता तथा लघु मत्स्यन केन्द्रों पर माल उतारने और जहाज खड़ा करने की सुविधाओं की व्यवस्था करना।
3. राज्यों द्वारा ऋण/राजसहायता के जरिए छोटे जलयानों का पंजीकरण।
4. खारे पानी में मत्स्य/झींगा मछली पालन।
5. मत्स्यपालक विकास अभिकरणों की स्थापना।
6. उम्दा किस्म के डिम्भोना का उत्पादन और वितरण।

गतिशील मछुआरों की दुर्घटना सम्बन्धी सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत लगभग 5 लाख मछुआरों का सामुद्रिक राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों में बीमा किया गया है/बीमे के अन्तर्गत लाया गया है। देश में 147 मत्स्यपालक विकास अभिकरणों के अन्तर्गत लगभग 46,000 व्यक्ति वैज्ञानिक रीति से मछली पालन में प्रशिक्षित किये जा चुके हैं। जैसा कि नीचे दिया गया है—

आन्ध्र प्रदेश—802, असम—1259, बिहार—8447, गुजरात—441, हरियाणा—1069, कर्नाटक—671, केरल—525, महाराष्ट्र—658, मध्य प्रदेश—3897, मणिपुर—225; राजस्थान—694, नागालैंड—46, उड़ीसा—6764, पंजाब—1050, तमिलनाडु—1236, त्रिपुरा—1437, उत्तर प्रदेश—10,227, पश्चिम बंगाल—6020।

इसके अलावा, कुछ राज्यसहायित आवास, कमी वाले मौसम में राहत देने और मृत्यु और अपंगता के लिए अनुग्रह भुगतान करने जैसी योजनाएं भी कार्यान्वित कर रहे हैं।